INDIAN INDUSTRIES ASSOCIATION
AN APEX BODY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(IN THE SERVICE OF MSME SINCE 1985)

सन्दर्भ सं.- 3/Energy/0132 08.04.2020

सेवा में ,
श्री श्रीकांत शर्मा
माननीय ऊर्जा मंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

विषय :- कोविड-19 महामारी और लॉक डाउन के कारण उद्योगों में बंदी के कारण बिजली के बिलों में डिमांड / फिक्स्ड शुल्क में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित छूट को लागू न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय ,
लॉक डाउन के समय एवं उसके काफी पहले 15 मार्च से उत्तर प्रदेश में उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन बंद है। 15 मार्च से पूर्व भी होली के त्यौहार के कारण कर्मचारियों के अपने-अपने घर छुटी पर जाने से उद्योगों में माह मार्च में केवल 3 व 4 दिन ही कार्य हो पाया था। ऐसे में माह मार्च में उद्योगों में बिजली की खपत लगभग न के बराबर रही है। आज की परिस्थिती में भी लॉक डाउन जल्दी समाप्त होने की संभावना कम लगती है।

उद्योगों में उत्पादन बंद होने से उद्योगों में आमदनी भी बंद हो गई है। फिर भी उन्हें कुछ फिक्स्ड खर्चे जैसे कर्मचारियों का वेतन, बैंकों की मासिक किस्तें और व्याज इत्यादी अनिवार्य रूप से वहन करने पड़ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों में धनाभाव भयंकर स्थिति में पहुँच गया है।

इन परिस्थितियों में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई आई ए) ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से 27 मार्च 2020 को निवेदन किया था कि जो उद्योग लॉक डाउन के कारण संचालित नहीं किये जा सकते हैं और बंद हैं उनसे लॉक डाउन समय के बिजली के बिलों में डिमांड चार्ज अथवा फिक्स्ड चार्ज न लिया जाये।
आई.आई.ए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी है कि उन्होंने आई.आई.ए की अपील को स्वीकार करते हुए 1 अप्रैल 2020 को सूचना और जनसंपर्क विभाग उ०प्र० के माध्यम से आदेश जारी किये कि:-
"ऊर्जा विभाग यह सुनिश्चित करे कि लॉक डाउन की अवधी में इंडस्ट्रीज से बिजली का फिक्स्ड चार्ज न लिया जाए"
मुख्यमंत्री के इस निर्णय के विपरीत, 2 अप्रैल 2020 को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने आदेश संख्या 216/-----2020 द्वारा विद्युत वितरण निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि: -
"वाणिज्यक एवं औद्योगिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं से माह अप्रैल के बिलों में 2/3 फिक्स चार्ज / डिमांड चार्ज लिया जायेगा। माह मई के बिलों में 1/2 फिक्स चार्ज / डिमांड चार्ज लिया जायेगा। माह अप्रैल और मई के बिलों में स्थागित फिक्स / डिमांड चार्जेज को क्रमशः जून और जुलाई के बिजली बिलों में चार्ज किया जाये जिस पर सरचार्ज नहीं लगेगा।"

प्रबंध निदेशक UPPCL के उपरोक्त आदेश से स्पस्ट है कि यह आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की उद्योगों को इस कठिन घड़ी में फिक्स / डिमांड चार्जेज की छूट देने की मंशा के विपरीत है।

अतः आई.आई.ए का आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों को (खास तौर पर सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगों को) लॉक डाउन पीरियड में बिजली के बिलों में फिक्स /डिमांड चार्जेज से पूर्ण छूट देने की कृपा करें।

धन्यबाद

पंकज कुमार
प्रेजिडेंट